रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 443] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 17, 1999/आषाढ़ 26, 1921
No. 443] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 17, 1999/ASADHA 26, 1921

विधि, न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1999

का.आ. 587(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

दिसम्बर, 1987 में हुए उप-निर्वाचन में 38-विले पार्ले, महाराष्ट्र विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से डा0 रमेश यशवंत प्रभु (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "निर्वाचित अभ्यर्थी" कहा गया है) का निर्वाचन, निर्वाचित अभ्यर्थी द्वारा लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 123 के खंड (3) और खंड (3क) में विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण किए जाने के आधार पर मुम्बई उच्च न्यायालय द्वारा 7-4-1989 को अपास्त कर दिया गया था ;

और उच्च न्यायालय ने निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन को अपास्त करते समय, धारा 99 के अधीन श्री बाल ठाकरे को भी नामित किया है, जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 123 की उपर्युक्त उपधारा (3) और (3क) के अधीन निर्वाचित अभ्यर्थी के साथ-साथ उसे भी भ्रष्ट आचरण करने का दोषी पाया है ;

और श्री बाल ठाकरे द्वारा उपर्युक्त तारीख 07-04-89 के निर्णय विरुद्ध उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की गई थी और उस न्यायालय ने तारीख 18-05-1989 के अंतरिम आदेश द्वारा, तारीख 07-04-1989 के मुम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के प्रवर्तन पर रोक लगा दी थी ;

और उच्चतम न्यायालय ने तारीख 11 दिसम्बर, 1995 को अपील खारिज करते समय अपने तारीख 11 दिसम्बर, 1995 के अंतिम आदेश द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 99 के अधीन श्री बाल ठाकरे को विनिर्दिष्ट रूप से नामित किया है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (3) के अनुसरण में, इस प्रश्न पर कि क्या श्री बाल ठाकरे को, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 123 की उपधारा (3) और (3क) के अधीन भ्रष्ट आचरण करने का दोषी पाया गया है और उस अधिनियम की धारा 99 के अधीन सक्षम न्यायालय द्वारा नामित किया गया है, निरर्हित किया जाए और यदि किया जाए तो उक्त अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (1) के अधीन कितनी अवधि के लिए ;

और निर्वाचन आयोग ने अपनी यह राय दी है (उपबंध देखिए) कि श्री बाल ठाकरे को उक्त उल्लिखित भ्रष्ट आचरण किए जाने के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने तारीख 11 दिसम्बर, 1995 के आदेश की तारीख से 6 वर्ष की अवधि के लिए, अर्थात् 10-12-2001 तक निरर्हित किया जाए ;

अतः, अब, मैं, के. आर. नारायणन्, भारत का राष्ट्रपति, उक्त अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (3) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिश्चय करता हूँ कि श्री बाल ठाकरे को तारीख 11 दिसम्बर, 1995 से 6 वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित किया जाए ।

17 जुलाई, 1999

भारत के राष्ट्रपति

उपाबंध

भारत का निर्वाचन आयोग

गणपूर्ति

माननीय डा. एम.एस. गिल
मुख्य निर्वाचन आयुक्त

माननीय श्री जे.एम.लिंगदोह
निर्वाचन आयुक्त

1997 का निर्देश मामला सं0 2 (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम)

(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क के अधीन भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश)

संदर्भ : श्री बाल ठाकरे की निरर्हता

राय

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "1951 का अधिनियम" कहा गया है) की धारा 8क की उपधारा (3) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त इस निर्देश में, इस प्रश्न पर कि क्या श्री बाल ठाकरे को, जिसे उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 123 की उपधारा (3) और उपधारा (3क) के अधीन भ्रष्ट आचरण करने का दोषी पाया गया है और उक्त अधिनियम की धारा 99 के अधीन नामित किया गया है, उक्त अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (1) के अधीन निरर्हित किया जाए और यदि किया जाए तो कितनी अवधि के लिए, निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है ।

2. संक्षेप में, सुसंगत तथ्य निम्नलिखित है :-

(i) डा. रमेश यशवंत प्रभु, दिसंबर, 1997 में हुए उपनिर्वाचन में 38- विले पार्ले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से महाराष्ट्र विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे । उनके निर्वाचन को एक प्रतिद्वंदी अभ्यर्थी, श्री प्रभाकर काशीनाथ कुंटे द्वारा, 1988 की निर्वाचन अर्जी सं0 1 में, मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत किया गया था ।

(ii) मुबंई उच्च न्यायालय ने अपने तारीख 7-4-1989 के निर्णय और आदेश द्वारा, डा. रमेश यशवंत प्रभु का निर्वाचन 1951 के अधिनियम की धारा 123(3) और 123(3क) के अधीन भ्रष्ट आचरण किए जाने के आधार पर शून्य घोषित किया था ।

(iii) उच्च न्यायालय ने श्री प्रभु के निर्वाचन को अपास्त करते समय, श्री बाल ठाकरे को भी 1951 के अधिनियम की धारा 123 की उपर्युक्त उपधारा (3) और (3क) के अधीन श्री प्रभु के साथ-साथ भ्रष्ट आचरण करने का दोषी पाते हुए धारा 99 के अधीन नामित किया है । न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि श्री बाल ठाकरे ने श्री प्रभु के अभिकर्ता के रूप में और उसकी सम्मति से श्री प्रभु के धर्म के आधार पर मत डालने के लिए अपील की है तथा भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म और समुदाय के आधार पर शत्रुता और घृणा की भावनाओं का संप्रवर्तन किया या संप्रवर्तन करने का प्रयत्न किया है ।

(iv) श्री बाल ठाकरे ने मुंबई उच्च न्यायालय के तारीख 7.4.1989 के पूर्वोक्त निर्णय के विरुद्ध भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील (1989 की सिविल अपील सं0 2835) फाईल की थी । श्री यशवंत प्रभु ने भी उनका निर्वाचन शून्य घोषित करने वाले मुंबई उच्च न्यायालय के पूर्वोक्त आदेश के विरुद्ध भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष 1989 की सिविल अपील सं0 2836 फाईल की थी । भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने तारीख 18-5-1989 के आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रवर्तन पर और 1951 के अधिनियम की धारा 8क के अधीन आगे कार्यवाहियों पर भी रोक लगा दी थी ।

(v) उच्चतम न्यायालय ने अपने तारीख 11 दिसम्बर, 1995 के अंतिम आदेश द्वारा श्री बाल ठाकरे और श्री यशवंत प्रभु की भी अपील खारिज कर दी है और उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष की पुष्टि कर दी है कि 1951 के अधिनियम की धारा 123(3) और धारा 123(3क) के अधीन, श्री बाल ठाकरे और डा. प्रभु दोनों के विरुद्ध धर्म के आधार पर मतदाताओं से अपील करने और धर्म के आधार पर निर्वाचकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता और घृणा का संप्रवर्तन करने का भ्रष्ट आचरण का आरोप साबित हो गया है ।

(vi) इस प्रकार, उच्चतम न्यायालय के तारीख 11.12.1995 के उक्त निर्णय द्वारा श्री बाल ठाकरे, 1951 के अधिनियम की धारा 123 की उपधारा(3) और (3क) के अधीन भ्रष्ट आचरण के दोषी पाए गए हैं । उच्चतम न्यायालय ने उसे उक्त अधिनियम की धारा 99 के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से नामित किया है । सचिव, महाराष्ट्र विधान सभा द्वारा, 1951 के अधिनियम की धारा 8क(1) के अनुसार, श्री ठाकरे का मामला राष्ट्रपति को 14.11.97 को निर्दिष्ट किए जाने पर, यह विषय उक्त अधिनियम की धारा 8क(3) के अधीन निर्वाचन आयोग को उसकी राय के लिए निर्दिष्ट किया गया है।

3. आयोग ने अपनी राय बनाने और देने के पूर्व श्री बाल ठाकरे को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने का विनिश्चय किया और 14.8.98 सुनवाई की तारीख नियत की गई है । श्री बाल ठाकरे ने सूचना के जवाब में एक प्रारंभिक आक्षेप उठाया कि उसे सचिव, महाराष्ट्र विधान सभा द्वारा राष्ट्रपति को किए गए निर्देश की प्रतियां और साथ ही भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय द्वारा भारत के निर्वाचन आयोग को किए गए निर्देश की प्रतियां और संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं । उन्होंने आगे कथन किया कि वे आरोप और/या आधार जिनको नकारा जाना आशयित था, सूचना में भी उपदर्शित नहीं किए गए थे। श्री बाल ठाकरे ने यह भी अभिवचन किया था कि निरर्हता के प्रस्ताव में मनोनियोग का अभाव है और यह सर्वथा विधि के प्राधिकार के बिना है । उन्होंने यह भी कथन किया था कि उन्होंने कभी भी संसद् का या राज्य विधान सभा का निर्वाचन नहीं लड़ा था तथा उनका भविष्य में भी ऐसा करने का कोई आशय नहीं था । श्री बाल ठाकरे ने आगे यह अभिकथन किया कि उच्च न्यायालय का निर्णय 1951 के अधिनियम की धारा 99 के अधीन 7 अप्रैल, 1989 को प्रवृत्त हुआ । जिसके द्वारा छह वर्ष की निरर्हता की अधिकतम अवधि, जो धारा 8क(1) के अधीन उस पर अधिरोपित की जा सकती थी, पहले ही व्यपगत हो गई थी।

4. इस विचार से कि श्री बाल ठाकरे को इस आधार पर कि उसे सुसंगत दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे, कोई शिकायत नहीं रहनी चाहिए, आयोग ने उसके द्वारा मांगे गए निर्देश की प्रतियां और इसके अतिरिक्त मुम्बई उच्च न्यायालय तथा भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की प्रतियां, 1951 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 7(ख), 8क, 99, 107 और 118ख के उद्धरणों के साथ उपलब्ध करा दिए थे तथा संघ के विधि मंत्रालय की तारीख 25.5.1976 की अधिसूचना भी उपलब्ध करा दी गई

थी जिसमें भारत के राष्ट्रपति उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन निरर्हता के मामलों को प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकारी विहित किए गए थे ।

5. जैसा कि श्री बाल ठाकरे ने आयोग को यह अभ्यावेदन किया है कि आयोग द्वारा भेजे गए दस्तावेज उसे केवल 9 अगस्त, 1998 को ही प्राप्त हुए हैं तथा उसे उनका अध्ययन करने के लिए और उस विषय में अपने विधि विशेषज्ञों से राय करने के लिए कुछ और समय की अपेक्षा है । उसके लिए पन्द्रह दिन की अवधि के लिए सुनवाई को मुल्तवी करने के अनुरोध को मंजूर कर लिया गया था और तद्नुसार सुनवाई 1.9.1998 को नियत की गई थी ।

6. 1.9.1998 की सुनवाई में श्री बाल ठाकरे का प्रतिनिधित्व श्री राजू रामचन्द्रन विद्वान ज्येष्ठ परामर्शी द्वारा किया गया । विद्वान परामर्शी ने यह अभिवचन किया कि 1951 के अधिनियम की धारा 8क के अधीन प्रस्तुत मामले में कार्यवाहियां, सचिव, महाराष्ट्र विधान सभा द्वारा की गई प्रारंभिक कार्यवाहियों में लगभग दो वर्ष के अत्यधिक और अस्पष्टीकृत विलंब के आधार पर दूषित हो गई है । उन्होंने यह कथन किया कि 1951 के अधिनियम की धारा 8क में यह उपबंध है कि धारा 99 के अधीन किसी आदेश द्वारा भ्रष्ट आचरण करने का दोषी पाए गए प्रत्येक व्यक्ति का मामला ऐसे आदेश के प्रभावी होने के पश्चात् यथासंभवशीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा । उन्होंने यह अभिवचन किया कि धारा 8क(1) में यथासंभवशीघ्र पद का अर्थ युक्तियुक्त समय होना चाहिए भले ही उस धारा में कोई विनिर्दिष्ट समय सीमा नियत नहीं की गई थी । उन्होंने मंसा राम बनाम एस0पी0 पाठक और अन्य (1984(1) एससीसी 125) और रामचन्द बनाम भारत संघ और अन्य (1984(1) एससीसी 44) में भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को आधार बनाया जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि "यथासंभवशीघ्र" से कोई "कोई युक्तियुक्त समय" अभिप्रेत है ।

7. विद्वान परामर्शी ने अभिवचन किया है कि ऐसे मामलों में जहां गंभीर सिविल पारिणामिक मामले जैसे निर्वाचन लड़ने के लिए निरर्हता तथा निर्वाचक नामावली से व्यक्ति के नाम का लोप होना भी अंतर्वलित हो वहां आयोग को अपनी सूचना में ही विनिर्दिष्ट आरोप तथ अनुध्यात कार्रवाई जैसे विषय की गंभीरता और अनुध्यात निरर्हता की अवधि उपदर्शित कर देनी चाहिए ।

8. विद्वान परामर्शी ने आगे कहा कि धारा 8क(1) के अधीन निरर्हता स्वयं में कोई प्रवर्तनशील नहीं थी । विधि में जानबूझकर आयोग की निर्णय लेने की प्रक्रिया को भ्रष्ट आचरण के मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की न्यायिक कार्यवाहियों से दूर रखा गया है । आयोग को, जब कोई मामला राष्ट्रपति द्वारा 1951 के अधिनियम की धारा 8क के अधीन निर्दिष्ट किया जाता है तब उसे अपना एक निष्पक्ष दृष्टिकोण रखना होता है और वह न्यायालयों के निष्कर्षों के अनुसार नहीं होना चाहिए ।

9. विद्वान परामर्शी ने आगे कहा कि श्री बाल ठाकरे द्वारा दस वर्ष से भी अधिक पूर्व अर्थात् 29.11.87, 9.12.87 और 10.12.87 को दिए गए तीन भाषणों को उच्च न्यायालय के निर्णय में निर्दिष्ट किया गया है और उन भाषणों को इस परवर्ती प्रक्रम पर उसकी निरर्हता का कोई आधार नहीं बनाया जाना चाहिए । उसने आगे कहा कि श्री बाल ठाकरे एक विशिष्ट राजनीतिक दल के सुविख्यात नेता हैं और यह तथ्य सर्वविदित थ कि उन्होंने कभी कोई निर्वाचन नहीं लड़ा है तथा यह भी कि वह भविष्य में भी कोई निर्वाचन नहीं लड़ेंगे । विद्वान परामर्शी ने यह कथन किया है कि इससे निरर्हता की कार्यवाहियों का मजाक बन जाएगा यदि निर्वाचन आयोग निरर्हता का कोई ऐसा आदेश जिसका परिणाम शून्य हो पारित कर देता है तो ऐसा करना केवल किसी विधि की अपेक्षाओं का पालन करना होगा और ऐसा आदेश केवल निर्वाचन लड़ने वाले व्यक्ति के लिए सुसंगत है न कि श्री बाल ठाकरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए । उसने यह तर्क दिया कि सचिव, महाराष्ट्र विधान सभा द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया, जो भारत के राष्ट्रपति को मामला पेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है, त्रुटिपूर्ण थी, चूंकि उसने यह लेखबद्ध नहीं किया है कि श्री बाल ठाकरे के किसी निर्वाचन के लड़ने की संभावना नहीं है और यह भी कि उसने कभी कोई निर्वाचन नहीं लड़ा है ।

10. विद्वान परामर्शी, ने यह, अनुरोध किया कि आयोग द्वारा समग्र रूप से कार्यवाहियों को बंदकर देना चाहिए और यह कि यदि आयोग किसी निरर्हता की सिफारिश करना ठीक और न्यायोचित समझता है तो यह एक न्यूनतम संकेतात्मक अवधि के लिए होनी चाहिए । विद्वान परामर्शी ने आगे अनुरोध किया कि आयोग द्वारा उसे मामले में एक लिखित कथन फाइल करने की अनुज्ञा दी जाए । आयोग ने उसके अनुरोध को मंजूर कर लिया और उसे प्रस्तुत करने के लिए समय अनुज्ञात किया।

11. विद्वान ज्येष्ठ परामर्शी श्री राजू रामचन्द्रन ने आयोग के समक्ष तारीख 3.9.1998 को एक लिखित कथन फाइल किया है, जिसे अभिलेख में रख लिया गया है। विद्वान परामर्शी ने उक्त लिखित कथन में, सुनवाई के समय उसके द्वारा किए गए मौखिक कथनों पर जोर दिया है ।

12. आयोग ने उसमें अंतर्विष्ट सभी अभिवचनों और श्री बाल ठाकरे की ओर से दिए गए कथनों पर सावधानीपूर्वक विचार कर लिया है । श्री बाल ठाकरे ने यह प्रारंभिक आक्षेप उठाया है कि 1951 के अधिनियम की धारा 8क के अधीन निरर्हता की अधिकतम अवधि किसी भी मामले में, उस तारीख से जिसको धारा 99 के अधीन उसके संबंध में आदेश किया जाता है, छह वर्ष से अधिक की अवधि का नहीं होगा और जिस तारीख से वह प्रभावी होता है, वह पहले ही समाप्त हो चुकी है जैसा कि 7 अप्रैल, 1989 के मुम्बई उच्च न्यायालय द्वारा पारित 1951 के अधिनियम की धारा 99 के अधीन आदेश में किया गया है और आयोग से उसको दी गई सूचना वापस लिए जाने के योग्य है । श्री ठाकरे का विचार विधि के उपबंधों के संगत नहीं है जहां तक 1951 के अधिनियम की धारा 107 में स्पष्ट रूप से यह उपबंध है कि उच्च न्यायालय के किसी आदेश के प्रवर्तन पर रोक के संबंध में, धारा 98 और 99 के अधीन उच्च न्यायालय के आदेश का प्रभाव उस अधिनियम के भाग 6 के अध्याय 4क में अंतर्विष्ट उपबंध के अधीन है । 1951 के अधिनियम के अध्याय 4क के अधीन धारा 116ख की उपधारा (3) में यह उपबंध है कि जब उच्च न्यायालय के किसी आदेश के प्रवर्तन पर उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगा दी जाती है तब आदेश कभी भी धारा 107 की उपधारा (1) के अधीन प्रभावी हुआ नहीं समझा जाएगा । जब उचचतम न्यायालय ने अपने तारीख 18.5.1989 के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय के तारीख 7.4.1989 के आदेश पर रोक लगा दी थी और आगे उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील के अंतिम निपटान तक धारा 8क के अधीन कार्यवाहियों पर विनिर्दिष्ट रूप से रोक लगा दी थी तब निरर्हता की अवधि, यदि कोई हो, जो श्री बाल ठाकरे पर अधिरोपित की जा सकती है, और वह उच्चतम न्यायालय के तारीख 11.12.1995 के अंतिम आदेश की तारीख से गणना में ली जाएगी न कि मुम्बई उच्च न्यायालय के आदेश की तारीख से, जैसा कि श्री बाल ठाकरे द्वारा प्रतिवाद किया गया है । उसका यह अभिवचन है कि रोक आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा डा0 यशवंत प्रभु कीअपील में पारित किया गया था और न कि उसके द्वारा फाइल की गई अपील में । यह सब अर्थहीन है क्योंकि वह डा0 यशवंत प्रभु की अपील में प्रत्यर्थी सं0 2 के रूप में एक पक्षकार थे तथा उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के संपूर्ण निर्णय और आदेश के प्रवर्तन पर रोक लगा दी थी ।

13. विद्वान परामर्शी ने यह तर्क दिया कि आयोग को निरर्हता की अवधि के प्रश्न पर स्वयं को विचार करने से पूर्व निरर्हता अधिरोपित करने की अत्यावश्यकता की बाबत पहले अपना समाधान कर लेना चाहिए । यह सही है, जैसा कि उसके द्वारा प्रतिवाद किया गया है कि धारा 8क के अधीन निरर्हता, किसी भ्रष्ट आचरण के प्रश्न के न्यायिक अवधारण के परिणामस्वरूप आवश्यक या स्वतः नहीं है । किन्तु यह प्रश्न कि क्या किसी व्यक्ति को निरर्हित किया जाना चाहिए या नहीं, उसके द्वारा किए गए भ्रष्ट आचरण की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर अभिनिश्चित किया जाएगा न कि इस अनुमान के आधार पर कि क्या उसने निर्वाचन लड़ा है या वह भविष्य में निर्वाचन लड़ेगा । श्री ठाकरे, 1951 के अधिनियम की धारा 123 (3) और 123 (3क) के अधीन गंभीर भ्रष्ट आचरणों के दोषी पाए गए हैं । आयोग का निरंतर यह विचार रहा है कि वह निर्वाचनों में भ्रष्ट आचरणों को करने के संबंध में न्यायालयों के निष्कर्षों से आबद्ध है । आयोग की भूमिका, निरर्हता के रूप में दंड की मात्रा को अवधरित करना है जो न्यायालयों द्वारा भ्रष्ट आचरणों के दोषी पाए गए व्यक्तियों पर अधिरोपित की जा सकती है । ऐसे अवधारण में आयोग को यह देखना है कि क्या अर्जीदार ने, विधि के अधीन विहित अधिकतम अवधि से कम अवधि की निरर्हता अधिरोपित करना उचित ठहराने के लिए कोई कम करने वाली या परिशमनकारी परिस्थितियां दर्शित की हैं । श्री बाल ठाकरे ने कोई ऐसी न्यूनीकरण या परिशमनकारी परिस्थितियां दर्शित नहीं की है ।

14. जहां तक महाराष्ट्र विधान सभा के सचिव द्वारा, 1951 के अधिनियम की धारा 8क के अधीन कार्यवाही आरंभ किए जाने में लगभग दो वर्ष के विलम्ब का संबंध है, श्री बाल ठाकरे का यह कथन कि आयोग को सिफारिश करनी चाहिए कि कोई और कार्यवाही न की जाए, स्वीकार नहीं किया जा सकता है । ऐसे विलम्ब से उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है । दूसरी ओर यह तो उनके फायदे के लिए ही हुआ है कि वह अभी भी निरर्हित नहीं हैं, यदि निरर्हित थे तो वह अवधि जिसके लिए उन्हें अंततः निरर्हित होना पड़ता, पहले ही काफी हद तक घट गई है । उन्हें ऐसी खामी से स्थायी लाभ प्राप्त करने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती क्योंकि उससे धारा 8क का मूल प्रयोजन और उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा । उनके विद्वान परामर्शी द्वारा उनके उपर्युक्त तर्क के लिए, मंशा राम बनाम एस.पी. पाठक [1984 (1) एससीसी 125] और रामचन्द्र बनाम भारत संघ इत्यादि [1994 (1) एससीसी 44] के मामलों में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों पर किया गया विश्वास अनुपयुक्त है । पहले मामले में उच्चतम न्यायालय ने, वे निष्कासन कार्यवाहियां विखंडित कर दी थी जो किराएदार द्वारा परिसर में प्रवेश किए जाने के लगभग 22 वर्ष पश्चात् आरंभ की गई थी और निष्कासन

कार्यवाहियों का आधार यह था कि 22 वर्ष पूर्व, किराएदार का आरंभिक प्रवेश ही गलत था । दूसरा मामला अर्जीदारों को उनकी भूमि के अर्जन के लिए प्रतिकर के पंचाट में विलम्ब से संबंधित था जिससे वे इस बीच आर्थिक रूप से पीड़ित हुए थे । उच्चतम न्यायालय ने मात्र प्रतिकर की रकम बढ़ा दी थी किन्तु उन अर्जन कार्यवाहियों को अभिखंडित नहीं किया गया था, जिन्हें अर्जीदारों ने ऐसे विलम्ब के आधार पर चुनौती दी थी । दोनों मामले स्पष्टतः तथ्य और विधि दोनों पर भेद करने लायक हैं । यहां श्री ठाकरे ने, उनके विरूद्ध वर्तमान कार्यवाही आरंभ करने में हुए विलम्ब से उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ना नहीं दर्शाया है । इसके प्रतिकूल जैसा ऊपर बताया गया है ऐसे विलम्ब से उन्हें फायदा मिला था ।

15. आयोग को यह जानकारी है कि बहुधा ऐसे कारणों से, जो स्वतः स्पष्ट है, संबद्ध सदनों के सचिवों से निर्देश किए जाने में अनावश्यक विलम्ब हो सकता है । यह ऐसा ही एक मामला है । इसलिए कि ऐसे विलम्ब भविष्य में न हों, आयोग ने, स्थिति की वास्तविकता पर विचार करने के पश्चात्, सरकार से प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सिफारिश की थी ताकि आयोग, संबद्ध व्यक्ति को सुने जाने का युक्तयुक्त अवसर देने के पश्चात्, अत्यंत शीघ्रता पूर्वक राष्ट्रपति को अपनी राय दे पाने में समर्थ हो सके । आयोग को आशा है कि भारत सरकार न्याय के हित में और संसद द्वारा बनाई गई विधियों को लागू करने के लिए इस विषय में तुरंत कार्यवाही करेगी ।

16. इसी प्रकार, विद्वान परामर्शी का यह अभिकथन कि वर्ष 1987 में दिए गए भड़काऊ भाषणों को इस परवर्ती प्रक्रम पर आधार नहीं बनाया जाना चाहिए, भी विधि के अधीन स्वीकार नहीं किया जा सकता । न्यायालयों ने, विभिन्न कारणों से भले ही मामले को अवधारित करने में समय लगाया हो किन्तु आयोग के लिए वह एक वैध आधार नहीं हो सकता जिससे कि वह अंततः दोषी पाए गए व्यक्ति का, कोई दांडिक परिणाम भोगे बिना छूट जाना, अनुज्ञात करे ।

17. यह अभिकथन, कि बाल ठाकरे ने पहले कभी कोई निर्वाचन नहीं लड़ा है और न भविष्य मे कोई निर्वाचन लड़ेंगे भी उनके विरूद्ध धारा 8क के अधीन कार्यवाहियों को बंद करने के लिए कोई वैध आधार नहीं हो सकता । सुनवाई के दौरान, आयोग द्वारा आश्चर्य व्यक्त किए जाने पर विद्वान परामर्शी ने स्वयं मान लिया कि श्री बाल ठाकरे भविष्य में अपना विचार बदल सकते हैं और निर्वाचन लड़ सकते हैं । और 1951 के अधिनियम की धारा 11क की उपधारा (2) यह उपबंध करती हैं कि धारा 8क की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रपति के किसी आदेश द्वारा किसी कालावधि के लिए

निर्वाचन लड़ने से निरर्हित व्यक्ति, किसी निर्वाचन में मतदान करने से भी उसी कालावधि के लिए निरर्हित होगा ।

18. श्री बाल ठाकरे की ओर से अंतिम तर्क यह था कि आयोग द्वारा जारी की गई सूचना में वह विनिर्दिष्ट आरोप और/या आधार उपवर्णित नहीं था जिसका उसके द्वारा खंडन किया जाना था, भी पोषणीय नहीं है । आयोग की श्री बाल ठाकरे को दी गई 15.7.1998 की सूचना में स्पष्टतः और सुस्पष्ट रूप से यह विनिर्दिष्ट था कि उन्हे मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा 1951 के अधिनियम की धारा 99 के अधीन, उक्त अधिनियम की धारा 123 (3) और 123 (3क) के अधीन भ्रष्ट आचरणों के लिए नामित किया गया था और यह भी कि उच्चतम न्यायालय ने उनके द्वारा फाइल की गई अपील खारिज कर दी थी तथा उच्च न्यायालय के आदेश की अभिपुष्टि की थी । सूचना में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लिखित था कि राष्ट्रपति ने यह विषय, अधिनियम की धारा 8क (3) के अधीन आयोग को उसकी इस राय के लिए विनिर्दिष्ट किया था कि क्या श्री बाल ठाकरे को धारा 8क (1) के अधीन निरर्हित किया जाना जाहिए, और यदि हां तो कितनी अवधि के लिए तथा उपर्युक्त प्रश्न पर अपनी राय बताने के प्रयोजनों के लिए ही आयोग ने श्री ठाकरे को सुनने का विनिश्चय किया । वह अच्छी तरह जानते हैं कि धारा 8क (1) के अधीन निरर्हता की अवधि उस तारीख से, जिस तारीख को समुचित न्यायालय का आदेश प्रभावी होता है, छह वर्ष से अधिक की अवधि नहीं हो सकती, जैसा कि उनके द्वारा उठाए गए प्रारंभिक आक्षेप से स्पष्ट है । इसलिए श्री ठाकरे यह नहीं कह सकते हैं कि उनको अपनी प्रभावी तौर पर रक्षा करने का अधिकार नहीं दिया गया था ।

19. यह विधि शास्त्र का एक मूलभूत सिद्धांत है कि किसी अपराध के लिए अधिरोपित दंड, किए गए अपराध की गंभीरता का आनुपातिक होना चाहिए । इसे न तो अत्यधिक कठोर और न ही इतना अननुपातिक होना चाहिए कि यह मनंमाना दिखलाई पड़े और न ही इतना नाममात्र का होना चाहिए कि दंड का अधिरोपण, ऐसे दंड के लिए उपबंध करने वाले कानूनी उपबंधों में निहित मूल उद्देश्यों को ही विफल या व्यर्थ कर दें ।

20. न्यायालय, जब साबित कर दिया जाए, भ्रष्ट आचरण के किए जाने के गंभीर परिणामों अर्थात् निर्वाचन का शून्य घोषित किया जाना और 1951 के अधिनियम की धारा 8क (1) के अधीन परिकल्पित छह वर्ष तक की अवधि के लिए निरर्हता को अच्छी तरह समझते हुए भ्रष्ट आचरण के आरोप के संबंध में सबूत के कठोरतम मानदंड अपनाते है और इस बात पर जोर देते हैं कि आरोप को किसी भी संदेह से परे साबित

किया जाए । मुम्बई उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से श्री बाल ठाकरे को 1951 के अधिनियम की धारा 123 (3) और धारा 123 (3क) के अधीन भ्रष्ट आचरण का दोषी अभिनिर्धारित किया है और उच्चतम न्यायालय ने भी स्पष्टतः और असंदिग्ध रूप से उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को मान्य ठहराया है और उच्च न्यायालय के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया है ।

21. डा. रमेश यशवंत प्रभु के संदर्भ मामले में राष्ट्रपति को अपनी राय भेजते समय आयोग ने यह अभिनिर्धारित किया था कि डा. रमेश प्रभु के विरूद्ध उक्त अधिनियम की धारा 123 (3) के अधीन धर्म के आधार पर मत देने की अपील और धारा 123 (3क) के अधीन और धर्म आदि के आधारों पर नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा की भावनाएं समप्रवर्तित करने या समप्रवर्तन का प्रयास करने संबंधी साबित किये गए भ्रष्ट आचरणों के आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के थे । आयोग इस मामले में कोई अलग निर्णय नहीं ले सकता है, विशिष्टतः तब जब कि ऐसे व्यक्तव्य जो डा. प्रभु के मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त भ्रष्ट आचरण अभिनिर्धारित किए गए थे, किसी अन्य द्वारा नहीं बल्कि श्री बाल ठाकरे द्वारा स्वयं दिए गए थे । जब डा. प्रभु को श्री ठाकरे के व्यक्तव्यों के लिए दण्डित किया गया है तो यह न्याय के विरूद्ध होगा यदि श्री ठाकरे के साथ भिन्न रूप से व्यवहार किया जाता है । इस बात में दो राय नहीं होगी कि किसी भ्रष्ट आचरण को, जो अत्यंत खतरनाक है और लोकतंत्र के बने रहने पर खतरा बन सकते हैं, गंभीर चिन्ता से देखा जाना चाहिए और बिना किसी ढिलाई के, शक्ति से समाप्त किया जाना चाहिए । ऐसे आचरण में लिप्त रहने वाले व्यक्तियों को विधि के अधीन अनुज्ञेय कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए क्योंकि उनके प्रति दर्शाई गई किसी नरमी का अर्थ उन भ्रष्ट आचरणों से समझौता करना होगा जो निर्वाचनों की निष्कलंकता को कलुषित करते हैं ।

22. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता और भ्रष्ट आचरणों की गंभीर प्रकृति को ध्यान में रखते हुए श्री बाल ठाकरे को निरर्हित किया जाना चाहिए और विधि के अधीन अनुज्ञेय अधिकतम शास्ति अर्थात् 1951 के अधिनियम की धारा 8क(1) के अधीन छह वर्ष के लिए निरर्हता से दण्डित किया जाना चाहिए ।

23. तदनुसार भारत का निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क (3) के अधीन भारत के राष्ट्रपति को इस बाबत अपना राय देता है कि श्री बाल ठाकरे को उक्त अधिनियम की धारा 8क (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय के आदेश की तारीख 11.12.1995 से छह वर्ष अर्थात् 10.12.2001 तक निरर्हित कर दिया जाए।

24. भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश, उपरोक्त प्रभाव की आयोग की राय के साथ वापस भेजा जाता है ।

(डा. एम.एस. गिल)
मुख्य निर्वाचन आयुक्त

(जे.एम. लिंगदोह)
निर्वाचन आयुक्त

नई दिल्ली
तारीख : 22 सितंबर, 1998.

[फा० सं० 7(62)/98-वि.II]

रघबीर सिंह, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 1999

S.O. 587(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

ORDER

Whereas the election of Dr. Ramesh Yashwant Prabhoo (hereinafter referred to as the 'returned candidate') from 38 - Vile Parle Maharashtra Legislative Assembly Constituency in the bye-election held in December, 1987 was set aside by the High Court of Bombay on 7.4.1989 on the ground of commission by the returned candidate of corrupt practices specified in clauses (3) and (3A) of section 123 of the Representation of People Act, 1951 (hereinafter referred to as "the said Act");

And whereas, the High Court, while setting aside the election of the returned candidate, also named Shri Bal Thackeray under Section 99, finding him guilty of having committed corrupt practices alongwith the returned candidate, under the aforesaid sub-sections (3) and (3A) of Section 123 of the said Act;

And whereas an appeal was filed by Shri Bal Thackeray before the Supreme Court against the aforesaid Judgement dated 7.1.1989 and that Court by an interim order dated 18.5.1989 stayed the operation of Bombay High Court's order dated 7.1.1989;

And whereas the Supreme Court by its final order dated the 11th December, 1995, while dismissing the appeal on 11th December, 1995 also specifically named Shri Bal Thackeray under Section 99 of the said Act;

And whereas, the opinion of the Election Commission had been sought in pursuance of sub-section (3) of Section 8A of the said Act, on the question, whether Shri Bal Thackeray, who has been found guilty of commission of corrupt practices under sub-sections (3) and (3A) of Section 123 of the said Act, and named under Section 99 of that Act, by the competent Court, should be disqualified and, if so, for what period under sub-section (1) of Section 8A of the said Act;

And whereas, the Election Commission has given its opinion (vide Annex) that Shri Bal Thackeray should be disqualified for having committed the corrupt practices mentioned above, for a period of six years from the date of the Supreme Court's Order dated 11.12.1995 i.e. till 10.12.2001;

Now, therefore, I, K.R. Narayanan, President of India, in exercise of the powers conferred on me under sub-section (3) of the Section 8A of the said Act, do hereby decide that Shri Bal Thackeray should be disqualified for a period of six years from 11th December, 1995.

17th July, 1999. PRESIDENT OF INDIA

ANNEX

BEFORE THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

CORAM :

Hon'ble Dr. M.S. GILL
Chief Election Commissioner

Hon'ble Shri J.M.Lyngdoh
Election Commissioner

Reference Case No. 2 (RPA) of 1997

{Reference from the President of India under Section 8A of the Representation of the People Act, 1951}

In re: Disqualification of Shri Bal Thackeray.

OPINION

In this reference from the President of India, under sub-section (3) of Section 8A of the Representation of the People Act, 1951 (hereinafter referred to as '1951-Act'), the opinion of the Election Commission has been sought on the question, whether Shri Bal Thackeray, who has been found guilty of commission of corrupt practices under sub-sections (3) and (3A) of Section 123 of the said Act, and named under Section 99 of that Act, by the Supreme Court, should be disqualified and, if so, for what period, under sub-section (1) of Section 8A of the said Act.

2. The relevant facts, in brief, are as follows:-

(i) Dr. Ramesh Yashwant Prabhoo was elected to the Maharashtra Legislative Assembly from 38-Vile Parle Assembly Constituency in the bye-election held in December, 1987. His election was called in question by Shri Prabhakar Kashinath Kunte, one of the contesting candidates, before the High Court of Bombay in Election Petition No. 1 of 1988.

declared the election of Dr. Ramesh Yashwant Prabhoo as void on the ground of commission of corrupt practices under sections 123 (3) and 123 (3A) of the 1951-Act.

(iii) The High Court; while setting aside the election of Shri Prabhoo, also named Shri Bal Thackeray under Section 99, finding him guilty of having committed corrupt practices along with Shri Prabhoo, under the aforesaid sub-sections (3) and (3A) of Section 123 of the 1951-Act. The Court held that Shri Bal Thackeray, as Shri Prabhoo's agent and with his consent, appealed for votes on the ground of Shri Prabhoo's religion, and promoted or attempted to promote feelings of enmity and hatred between different classes of the citizens of India on the ground of religion and community.

(iv) Shri Bal Thackeray filed an appeal [Civil Appeal No. 2835 of 1989] before the Supreme Court of India against the aforesaid judgement dated 7.4.1989 of the Bombay High Court. Shri Yashwant Prabhoo also filed Civil Appeal no. 2836 of 1989 against the aforesaid judgement of the High Court declaring his election as void. By its order dated 18.5.1989, the Supreme Court of India stayed the operation of the High Court's judgment, and also further proceedings under Section 8A of the 1951-Act.

(v) By its final order dated the 11th December, 1995, the Supreme Court has dismissed the appeal of Shri Bal Thackeray, and also of Shri Yashwant Prabhoo, and has confirmed the findings of the High Court, that the charge of corrupt practices under sections 123 (3) and 123 (3A) of the 1951-Act, of appealing to voters on the ground of religion and promotion of enmity and hatred between

different classes of electors on ground of religion, has been established both against Shri Bal Thackeray and Dr. Prabhoo.

(vi) Thus, by the said judgement dated 11-12-1995 of the Supreme Court, Shri Bal Thackeray has been found guilty of corrupt practices under sub-sections (3) and (3A) of Section 123 of the 1951-Act. The Supreme Court also specifically named him under Section 99 of the said Act. On the case of Shri Thackeray being referred on 14-11-1997 by the Secretary, Maharashtra Legislative Assembly to the President of India, in terms of Section 8A(1) of the 1951-Act, the matter has been referred to the Election Commission for its opinion under Section 8A(3) of the said Act.

3. Before formulating and tendering its opinion, the Commission decided to afford Shri Bal Thackeray an opportunity of being heard, and fixed 14.08.1998 as the date of hearing. In reply to the notice, Shri Bal Thackeray raised a preliminary objection, that he had not been supplied with copies of the reference made by the Secretary to the Maharashtra Legislative Assembly to the President of India, as well as the reference made by the office of the President of India to the Election Commission of India and related documents. He further stated that the charges and/or grounds which were supposed to be rebutted had also not been indicated in the notice. Shri Bal Thackeray also contended that the proposal of disqualification suffered from non-application of mind, and was totally without authority of law. He stated that he had never contested any election to Parliament or State Legislature, and that he had no intention to do so in future. Shri Bal Thackeray further contended that as the judgement of the High Court under Section 99 of the 1951-Act came into force on the 7th April, 1989, the maximum period of

disqualification of six years that could be imposed on him under Section 8A (1) had already lapsed.

4. In order that Shri Bal Thackeray should have no grievance on the ground that he was not supplied with the relevant documents, the Commission forwarded copies of the references sought for by him, and in addition also sent him copies of the judgements of the Bombay High Court and the Supreme Court of India, extracts of Sections 7(b), 8A, 99, 107 and 116 B of the R.P. Act, 1951, and Union Law Ministry's Notification dated 25.5.76 specifying authorities to submit the cases of disqualification under Section 8A of the said Act to the President of India.

5. As Shri Bal Thackeray represented to the Commission that the documents sent by the Commission were received by him only on the 9th of August, 1998 and that he would require some more time to go through the same and to have deliberations with his legal experts in the subject matter, his request for postponement of hearing by a fortnight was granted, and the hearing was, accordingly scheduled for 1.9.1998.

6. At the hearing on 1.9.1998, Shri Bal Thackeray was represented by Shri Raju Ramchandaran, learned Senior counsel. The learned counsel pleaded that the proceedings in the present case under Section 8A of 1951-Act had been vitiated on account of gross, inordinate and unexplained delay of nearly two years in the initiation of the proceedings by the Secretary to the Maharashtra Legislative Assembly. He stated that Section 8A of the 1951-Act provided that the case of every person found guilty of corrupt practices by an order under Section 99 shall be submitted, as soon as may be, after such order takes affect. He pleaded that the expression as soon as may be in Section 8A (1) should mean a reasonable time, even though no specific time limit was fixed in that Section. He relied upon the judgements of Supreme Court of India in Mansa Ram Vs. S.P. Pathak and

others [1984(1) SCC 125] and Ram Chand Vs. Union of India and others [1994 (1) SCC 44], wherein the Supreme Court has held that "as soon as may be" means "a reasonable time".

7. The learned counsel pleaded that in a matter which involved serious civil consequences, i.e. disqualification for contesting elections and also deletion of the name of the person from the electoral roll, the Commission should have indicated in its notice itself the specific charge and also the contemplated action, i.e., gravity of the matter and the period of contemplated disqualification.

8. The learned counsel further submitted that the disqualification under Section 8A(1) was not something self-operative. The law had deliberately kept the decision making process of the Commission, away from the judicial proceedings of the High Court and the Supreme Court in a matter of corrupt practices. The Commission, when a matter is referred to it under Section 8A of the 1951-Act by the President, has to take an independent view, and should not go by the findings of the Courts.

9. The learned counsel further stated that the three speeches, referred to in the judgement of the High Court, were made by Shri Bal Thackeray on 29.11.87, 9.12.87 and 10.12.87, i.e. more than 10 years ago, and those speeches should not be made a ground for his disqualification at this late stage. He further added that Shri Bal Thackeray was a well known leader of a particular political party, and it was a publicly known fact that he had never contested any election, and also that he would not contest any election in future. The learned counsel stated that it would make a mockery of the disqualification proceedings, if the Election Commission passed an order of disqualification in vacuum, only in order to pay obeisance to the requirements of a law, which was relevant only for persons contesting elections, and not for a person like Shri Bal Thackeray. He argued

that the procedure adopted by the Secretary to the Maharastra legislative Assembly, the competent authority to submit the case to the President of India was defective, inasmuch as he had not placed on record, that Shri Thackeray was not likely to contest any election, and also that he had never contested any election.

10. The learned counsel urged that the proceedings should be dropped by the Commission in toto, and that in case the Commission felt it just and proper to recommend any disqualification, it should be for a minimum token period. The learned counsel further requested the Commission to permit him to file a written statement in the matter. The Commission granted his request and allowed him time to submit the same.

11. Shri Raju Ramachandran, the learned Senior counsel, filed a written statement dated 3.9.1998 before the Commission, and the same has been taken on record. The learned counsel has reiterated the oral submissions made by him at the time of hearing, in the said written statement.

12. The Commission has carefully considered all pleas contained therein and submissions made on behalf of Shri Bal Thackeray. Shri Bal Thackrey raised the preliminary objection that the maximum period of disqualification under Section 8A of the 1951-Act, which shall in no case exceed six years from the date on which the order made in relation to him under Section 99 takes effect, had already expired, as the order under Section 99 of the 1951-Act was passed by the Bombay High Court on the 7th April, 1989, and, therefore, the notice to him from the Commission deserved to be withdrawn. The view taken by Shri Thackeray is not consistent with the provisions of law, inasmuch as Section 107 of the 1951-Act clearly provides that the effect of the order of the High Court under Sections 98 and 99 is subject to the provisions contained in Chapter IV A of Part VI of that Act, relating to the stay of operation of an order of the High Court. Sub-

section (3) of Section 116B, under the said Chapter IV A of the 1951-Act, provides that when the operation of an order of the High Court is stayed by the Supreme Court, the order shall be deemed never to have taken effect under sub-section (1) of Section 107. When the Supreme Court, by its order dated 18.5.1989, stayed the High Court's order dated 7.4.1989, and, further, specifically stayed proceedings under Section 8A, till the final disposal of the appeal against the High Court's order, the period of disqualification, that may be imposed on Shri Bal Thackeray, if any, would count from the date of final order dated 11.12.1995 of the Supreme Court and not from the date of order of the Bombay High Court, as contended by Shri Bal Thackeray. His plea that the stay order was passed by the Supreme Court in the appeal of Dr. Yashwant Prabhoo and not in the appeal filed by him is of no avail, as he was a party to the appeal of Dr. Ramesh Yashwant Prabhoo, being Respondent No.2, and the Supreme Court stayed the operation of the whole judgement and order of the High Court.

13. The learned counsel argued that the Commission should first be satisfied about the very necessity of imposing disqualification, before addressing itself to the question of the period of disqualification. It is true, as contended by him, that disqualification under Section 8A is not a necessary or automatic consequence of judicial determination of the question of a corrupt practice. But the question whether a person should be disqualified or not, is to be decided on the basis of the nature and gravity of the corrupt practice committed by him, and not on the basis of a surmise, whether he would have contested election or not in future. Shri Thackeray has been found guilty of serious corrupt practices under Section 123(3) and 123(3A) of the 1951-Act. The Commission has consistently taken the view that it is bound by the findings of the Courts relating to the commission of corrupt practices at elections. The role of the Commission is to determine

the quantum of punishment, in the form of disqualification, which may be imposed on the persons found guilty of corrupt practices by the Courts. In such determination, the Commission has to see whether the petitioner has shown any mitigating or extenuating circumstances to justify imposition of disqualification for a period lesser than the maximum prescribed under the law. Shri Bal Thackeray has not shown any such mitigating or extenuating circumstances.

14. As regards the delay of about two years in the initiation of the proceedings by the Secretary to the Maharastra Legislative Assembly, under Section 8A of 1951-Act, the submissions of Shri Bal Thackrey that the Commission ought to recommend, that no further action be taken cannot be accepted. Such delay has caused no prejudice to him. On the other hand, it has worked to his advantage, in that he is still not disqualified and, if disqualified, the period for which he may ultimately have to undergo the disqualification is already greatly reduced. He can not be permitted to reap permanent gain from such a lapse, as that would negate the very purpose and object of Section 8A. The reliance placed by his learned counsel on the apex Court's decisions in the cases of Mansaram vs S.P. Pathak [1984 (1) SCC 125] and Ram Chand vs. Union of India etc [1994 (1) SCC 44] for his above contention, is misplaced. In the former case, the Supreme Court struck down the eviction proceedings which were initiated, nearly 22 years after the tenant entered the premises, and the ground of the eviction proceedings being that the initial entry of the tenant 22 years ago itself was wrong. The latter case related to delay in the award of compensation to the petitioners for the acquisition of their land, whereby they suffered financially meanwhile. The Supreme Court merely enhanced the compensation amount, but did not quash the acquisition proceedings which the petitioners had challenged on the ground of such delay. Both the cases are clearly

distinguishable both on facts and law. Here, Shri Thackeray has not shown any prejudice to have been caused to him by the delay in the initiation of the present proceedings against him. On the contrary, as pointed out above, he was benefited by such delay.

15. The Commission is aware that often, for reasons too obvious to be stated, there may be inordinate delay in the references to emanate from the Secretaries of the Houses concerned. This is one such case. In order that such delays do not recur in future, the Commission has, after taking into consideration the reality of the situation, recommended to the Government, to simplify the procedure, to enable the Commission to tender its opinion to the President with utmost expedition, after giving the person concerned reasonable opportunity of being heard. The Commission hopes that the Government of India will take prompt action in the matter, in the interest of justice, and application of laws made by Parliament.

16. Similarly, the submissions of the learned counsel that the offending speeches made in the year 1987 should not be made a ground for action at this late stage, also can not be accepted under the law. The Courts may have taken time, for various reasons, in determining the matter, but that can not be a valid ground for the Commission to allow the person found ultimately guilty to go without facing any penal consequences.

17. The submission that Shri Bal Thackeray never contested any election in the past, nor would he contest any election in future, can also not be a valid ground for dropping proceedings under Section 8A against him. On interjection by the Commission, during the course of the hearing, the learned counsel himself conceded that Shri Bal Thackeray could change his mind and contest an election, in future. Further, sub-section (2) of Section 11A of the 1951-Act provides that any person disqualified by a decision of

the President under sub-section (1) of Section 8A, from contesting elections for any period, shall be disqualified for the same period, for voting also at any election.

18. The last contention on behalf of Shri Thackeray that the notice issued by the Commission did not set out the specific charge and/or ground, which he was supposed to rebut, is also not maintainable. The Commission's notice dated 15.7.1998 to Shri Thackeray clearly and unambiguously specified that he was named by the Bombay High Court under section 99 of the 1951-Act for having committed corrupt practices under Sections 123(3) and 123(3A) of the said Act, and also that the Supreme Court had dismissed the appeal filed by him and affirmed the order of the High Court. The notice also clearly mentioned, that the President had referred the matter to the Commission for its opinion under Section 8 A(3) of the Act, whether Shri Thackeray should be disqualified under Section 8 A(1) and if so, for what period, and it was for the purposes of the formation of the opinion on the above question, that the Commission decided to hear Shri Thackeray. He knows well that the period of disqualification under Section 8 A(1) cannot exceed six years from the date on which the order of the appropriate Court takes effect, as is evident from the preliminary objection raised by him. Shri Thackeray, therefore, can not say that he had been denied the right to effectively defend himself.

19. It is a basic tenet of jurisprudence, that the punishment imposed for any offence should be proportionate to the gravity of the offence committed. It should neither be excessively harsh and so disproportionate that it may look arbitrary, nor should it be so minimal, that the imposition of the punishment may defeat or frustrate the very object underlying the statutory provisions providing for such punishment.

20. The Courts adopt very strict standards of proof in relation to a charge of corrupt practice, and insist upon the charge being proved beyond any shadow of doubt, realising

fully well the serious consequences of the commission of corrupt practice when proved, i.e., declaration of the election as void and the disqualification for a period upto 6 years as envisaged under section 8A(1) of the '1951-Act'. The Bombay High Court has categorically held Shri Bal Thackray guilty of corrupt practice under sections 123(3) and 123(3A) of the '1951-Act', and the Supreme Court has also clearly and unambiguously upheld the findings of the High Court, and has seen no reason to interfere with the findings of the High Court.

21. While tendering its opinion to the President in the reference case of Dr. Ramesh Yashwant Prabhoo, the Commission had held that the charges of corrupt practices proved against Dr. Prabhoo, under section 123(3) of appeal to vote on the ground of religion, and under section 123(3A) of promoting or attempting to promote feelings of enmity or hatred between different classes of citizens on the grounds of religion, etc., of the said Act, were of a very serious and grave nature. The Commission cannot take a different stand in this case, particularly so, when the speeches which were held by the High Court and Supreme Court to constitute the said corrupt practices in the case of Dr. Prabhoo were made by none other than Shri Bal Thackeray himself. When Dr. Prabhoo has been penalised and disqualified for the speeches of Shri Thackeray, it would belie logic if Shri Thackeray is treated differently. There cannot be two opinions, that any corrupt practices which are highly dangerous, and can threaten the very survival of democracy, must be viewed with the utmost concern, and put down with a heavy hand without any leniency. Persons indulging in such practices, must be visited with the severest penalty permissible under the law, as any leniency shown to them, would mean compromising with those corrupt practices which sully the purity of elections

22. Having regard to the totality of the facts and circumstances of the case and the serious and grave nature of corrupt practices, Shri Bal Thackeray should be disqualified, and should be visited with the maximum penalty permissible under the law, viz., disqualification for 6 years under Section 8A(1) of the '1951-Act'.

23. Accordingly, the Election Commission of India hereby tenders its opinion to the President of India, under Section 8A(3) of the R.P. 1951-Act, to the effect that Shri Bal Thackeray, should be disqualified under Section 8A(1) of the said Act, for a period of six years from the date of the Supreme Court's Order dated 11.12.1995 i.e. till 10.12.2001.

24. The reference received from the President of India is returned with the Commission's opinion to the above effect

(DR. M.S. GILL)
CHIEF ELECTION COMMISSIONER

(J.M. LYNGDOH)
ELECTION COMMISSIONER

New Delhi.
Dated 22nd September, 1998.

[F. No. 7(62)/98-Leg. II]
RAGHBIR SINGH, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—1999